

प्रति,

दिनांक 02.03.2022

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी  
सामान्य वनमंडल अशोकनगर  
अशोकनगर म.प्र.

विषय :- अशोकनगर जिले में विंध्य टेली लिंक लिमिटेड द्वारा चंदेरी से भोटी तक ओ एफ़ सी लाइन डालने हेतु 0.315 हेक्टेयर वनभूमि की प्रस्ताव में स्वीकृति करि करने बावत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/ डी एम /2022/595 दिनांक 28.02.2021

विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा वन संरक्षण 1980 के अंतर्गत ऑनलाइन प्रस्ताव क्रमांक

MP/MP/OFC/145197/2021 में Right of way के अंतर्गत वन मंडल अशोकनगर के वनकक्ष क्रमांक RF-133, RF-132, RF-130, RF-129, RF-135, RF-120, RF-201 में ओ.एफ.एसी लाइन डालने हेतु रकवा 0.315 हे० वनभूमि प्रस्तावित हैं। संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में आयोजित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र	शर्त	
1	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा अर्थात् प्रकरण संरक्षित आरक्षित वन का होने से वन भूमि संरक्षित आरक्षित वन ही रहेगा।	मान्य है
2	उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित भूमि तथा उसके चारों ओर के क्षेत्र में जीव जन्तु व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित सभी आवश्यक उपाय भी करेगा।	मान्य है
3	यह वनभूमि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी। भूमि प्रयोजनों में बगैर केंद्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार परिवर्तन वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन माना जायेगा।	मान्य है
4	वनो के संरक्षण अनुरक्षक तथा संबंधन के हित में राज्य शासन, वन विभाग अथवा भारत सरकार के क्षेत्र कार्यालय (पश्चमी क्षेत्र) भोपाल द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की गयी अन्य शर्तों के पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।	मान्य है
5	कार्य शुरू करने से पूर्व सम्बंधित वन परिक्षेत्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक होगा।	मान्य है
6	वन क्षेत्र में श्रमिक कैंप नहीं लगाया जायेगा।	मान्य है
7	उपयोगकर्ता अभिकरण से यह वचन पत्र दिया जायेगा की वनसंरक्षण की दृष्टि से राज्य शासन /केंद्र शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त लगायी जाती है तो वह मान्य होगी।	मान्य है
8	ओ एफ़. सी केबल लाइन मुख्य मार्ग के किनारे एवं समानांतर में ही डाला जायेगा। केबल की दुरी छोटा करने हेतु मुख्य मार्ग के किनारे को छोड़कर अन्य वनभूमि के प्रयोग नहीं किया जायेगा।	मान्य है
9	वनक्षेत्र के अंदर स्थित मुरम, मिट्टी एवं पत्थरों के उत्खनन नहीं किया जायेगा।	मान्य है

10	ओ.पैफ़.सी केवल बिछाने हेतु एच.डी.डी पद्धति के उपयोग प्राथमिकता पर किया जायेगा। यदि किसी क्षेत्र में एच.डी.डी पद्धति के माध्यम से ओ.पैफ़.सी लाइन बिछाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में वन क्षेत्र में खांटी के खोदने से पूर्व इस कार्यालय लिखित अनुमति प्राप्त आवश्यक होगा।	मान्य है
11	समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जायेगा।	मान्य है
12	यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि जाती है तो वनक्षति की राशि आवेदक संस्थान के द्वारा देय होगी।	मान्य है
13	सूर्यास्त के पश्चात कोई कार्य नहीं किया जायेगा।	मान्य है
14	निर्माण किये गए स्थान पर स्थायी बोर्ड आदि उपयुक्त स्थानों पर शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाए जाये।	मान्य है
15	उक्त कार्य में स्थानीय वन समिति वन के लोगो को मजदूरी हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।	मान्य है
16	यदि उक्त कार्य किसी अन्य एजेन्सी या नियोक्ता ( ठेकेदार) के द्वारा कार्य कराया जाता है तो उसका नाम, पता एवं एच.डी.डी अथवा खांटी खोदने में उपयोग में लाई जाने वाली मशीन/वाहन के रजिस्ट्रेशन आदि की समस्त जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कार्य कराई जाये।	मान्य है आराध्य ट्रेडर्स वार्ड -7 मटन मोहल्ला बड़े तालाब के सामने निवारि (म.प्र.) मोवाइल नं -8840813446
17	उक्त कार्य निर्धारित एलाइनमेंट की भीतर ही किया जाये। यदि स्वीकृत एलाइनमेंट की बहार कार्य पाया जाता है तो सम्बंधित की विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 में विहित प्रावधानों की तहत कार्यवाही की जाकर स्वीकृत निरस्त की जाएगी।	मान्य है
18	उपरोक्त स्वीकृति की अवधि जारी तिथि 01 वर्ष की लिए ही वेध रहेगी। उक्त अवधि में कार्य को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में जारी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त होगी।	मान्य है
19	उपरोक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करे ताकि औपचारिक स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके।	मान्य है



## वचन पत्र

उपयोगकर्ता अभिकरण से यह वचन पत्र दिया जायेगा  
की वनसंरक्षण की दृष्टि से राज्य शासन /केंद्र शासन द्वारा  
भविष्य में कोई शर्त लगायी जाती है तो वह मान्य होगी।



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

विंध्य टेली लिंक्स लिमिटेड